

(1)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 54 / 13

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 54 / 13

संस्थापन दिनांक-28 / 08 / 2012

फाइलिंग नंबर-230303000902012

- 1- जगराम पुत्र-ग्यादीन, आयु 50 साल,
निवासी ग्राम भगवासा, परगना गोहद,
जिला भिण्ड

---पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

वि रू द्ध

- 1- रमेश, पुत्र-ग्यादीन, आयु-45 साल,
निवासी ग्राम भगवासा, परगना गोहद,
जिला भिण्ड
- 2- मनीष मिश्रा, पटवारी ग्राम भगवासा, तहसील गोहद।
- 3- रामस्वरूप मौर्य, राजस्व निरीक्षक, गोहद

.....

प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रं0 1 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रं0 2 एवं 3 द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशवसिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के अपंजीकृत परिवादपत्र जगराम विरुद्ध रमेश
आदि में पारित आदेश दिनांक 05/06/2012 से उत्पन्न दाण्डिक
पुनरीक्षण

--- आ दे श ---

(आज दिनांक **28 जुलाई 2016** को पारित किया गया)

- 1- श्री केशवसिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय के
अपंजीकृत परिवादपत्र जगराम विरुद्ध रमेश आदि में पारित आदेश दिनांक
05/06/2012 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत
की है।

2— उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका के संबंध में अभिलेख पर यह स्वीकृत स्थिति है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14/07/2014 को आदेश पारित कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर परिवाद में उल्लेखित धाराओं के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके विरुद्ध प्रतिपुनरीक्षणकर्ता मनीष मिश्रा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 86/15 पेश की गयी थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01/12/2015 को आदेश पारित कर परिवाद के सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, विधि अनुसार निराकरण होने हेतु उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका प्रत्यावर्तित की गयी। जिसके अनुक्रम में प्रत्यर्थीगण को विधिवत सूचनापत्र जारी कर सुनवाई हेतु आहूत किया गया और सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निराकृत की जा रही है। यह भी स्वीकृत है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता और भाई सरनाम का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर पूर्व बंटवारा/बंटाकन निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल करते हुए तहसीलदार गोहद द्वारा सहमति का बंटवारा किया जा चुका है और बंटवारा/बंटाकन संबंधी बिन्दु का निराकरण हो चुका है।

3— दिनांक 25/01/2010 को याचिकाकर्ता ने उत्तरवादगण के विरुद्ध विद्वान निम्न न्यायालय के विरुद्ध एक परिवादपत्र प्रस्तुत किया था। विद्वान निम्न न्यायालय ने धारा 200, 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत साक्ष्य ली, एस०डी०ओ० से जांच प्रतिवेदन बुलाया और उसके उपरांत दिनांक 05/06/2012 को परिवादपत्र पंजीकरण योग्य न पाते हुए निरस्त कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता जगराम याचिकाकर्ता के रूप में पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आया है।

4— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार था कि ग्राम जटपुरा में विवादित भूमि सर्वे नं० 79, 81, 85, 86, 98 एवं 124 के संबंध में विवाद है। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रमेश एवं मनीष मिश्रा पटवारी तथा रामस्वरूप मौर्य राजस्व निरीक्षक ने मिलकर परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता जगराम तथा उसके भाईयों के नाम की सम्मिलित खाते की भूमि का बंटवारा कूट रचित तरीके से करा लिया और रमेश को अच्छी किस्म की भूमि बंटवारे में दी गई। जिस पर परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता जगराम के सहमति के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त दस्तावेज फर्जी व कूट रचित तैयार किये जाकर परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता को धोखाधड़ी की गई है।

5— उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है।

- (अ) क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 05/06/2012 विधि अनुचित व औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?
- (ब) क्या परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता के प्रस्तुत परिवाद पर से प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान लिये जाने का मामला बनता है ?

∴- निष्कर्ष के आधार-∴

4- उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दु का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण एक साथ किया जा रहा है ।

5- परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित व मौखिक तर्कों में परिवाद में लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क करते हुए यह व्यक्त किया है कि, परिवादी केवल तीन भाई हैं, जिनमें परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता जगराम के अलावा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रमेश एवं सरनाम हैं। उनकी पैत्रिक भूमि ग्राम भगवासा व जटपुरा में है। जहां पर प्रतिपुनरीक्षणकर्ता मनीष मिश्रा हल्का पटवारी और रामस्वरूप मौर्य राजस्व निरीक्षक पदस्थ रहे हैं। जिनसे रमेश ने मिलकर षण्यंत्र पूर्वक कूट रचित तरीके से जमीन का बंटवारा उसे कोई सूचना दिये वगैर गोपनीय तरीके से करा लिया और उसके व दूसरे भाई सरनाम का हक मारने के आशय से अच्छी किस्म की भूमि अपने हिस्से में करा ली तथा बंटवारा कार्यवाही पर गांव के पंजाबसिंह के कूटरचित हस्ताक्षर करा लिये और ग्राम कोटवार राजवीर से भी पटवारी व आर० आई० ने दबाव से हस्ताक्षर करा लिये। षण्यंत्र का पता चलने पर पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गयी, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। राजवीर और पंजाबसिंह के द्वारा परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता का समर्थन धारा 202 दं०प्र०सं० के तहत दी गयी साक्ष्य में की गई है और मिली भगत से किया गया बंटवारा राजस्व न्यायालय में की गई कार्यवाही में निरस्त हुआ है, जो राजस्व मण्डल तक निराकृत हो चुका है। विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद के संबंध में जो जांच की उसमें भी विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पुलिस के स्थान पर एस०डी०ओ० गोहद से जांच कराई। एस०डी०ओ० ने वह जांच प्रतिपुनरीक्षणकर्ता पटवारी व आर०आई० पर ही सौंप दी, जबकि उन्हीं पर आक्षेप थे और उन्हें जांच नहीं दी जा सकती थी, किंतु एस०डी०ओ० ने आपेक्षित आर०आई०, पटवारी की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना प्रतिवेदन जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे आधार मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर अवैधानिकता की है। इसलिए आलोच्य आदेश अपास्त किया जाये और परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिया जाकर आपराधिक कार्यवाही की जावे।

6- प्रत्यर्थी एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र० 1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी/पुनरीक्षणकर्ता याचिकाकर्ता के लिखित व मौखिक तर्कों का विरोध करते हुए अपने लिखित व मौखिक तर्कों में यह बताया गया है कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रमेश द्वारा बंटवारे के संबंध में न्यायालय तहसीलदार गोहद में विधिवत कार्यवाही की गयी थी। तहसीलदार के आदेश पर बंटाकन प्रस्ताव स्वीकार कर कब्जा कार्यवाही की गयी और मौके पर जाकर कब्जा अनुसार बंटाकन सूची तैयार की गई थी। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में कार्यवाही की गयी थी। जिसका उल्लेख दिनांक 25/08/2007 फर्द बंटाकन में है। षण्यंत्र पूर्वक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाही के ग्राम कोटवार राजवीर और ग्रामीण पंजाबसिंह साक्षी रहे हैं, जो बाद में लोभ-लालच या दबाव प्रभाव में बदल रहे हैं। बंटवारा/बंटाकन न्यायिक कार्यवाही है और परिवाद असत्य रूप से किया गया है। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर

कोई विधिक भूल नहीं की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जावे।

7— प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रं० 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने तर्कों में प्रतिपुनरीक्षणकर्ता 1 के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अपने तर्कों में यह भी बताया है कि आर०आई० पटवारी पदीय हैसियत से तहसीलदार के आदेश का पालन करने हेतु बाध्य होते हैं। बंटाकन का आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया था। जिसका उन्होंने नियम अनुसार कार्यवाही करके पालन किया और रमेश के आवेदन पत्र पर से तहसीलदार के आदेश दिनांक 14/08/2007 के पालन में उन्होंने दिनांक 25/08/2007 को गांव में जाकर कार्यवाही की थी और अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी थी। उनकी कार्यवाही के समय परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता व उसका पुत्र नाथूराम एवं रमेश का पुत्र ऋषिकेश और सरनाम मौजूद थे, नाथूराम ने फर्द बंटाकन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था, जिसकी टीप ली गयी थी। पंजाबसिंह और ग्राम कोटवार भी मौजूद थे उन्होंने हस्ताक्षर किये थे। आर०आई० द्वारा उनके कथन भी लिये गये थे। परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता भी मौजूद था उसने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था। उन्होंने बंटवारा नहीं किया बंटाकन किया था तथा बंटाकन का प्रस्ताव तहसीलदार के समक्ष पेश किया था, किंतु परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 22/12/2008 के पूर्व बंटाकन प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त परिवाद उनके विरुद्ध सही तथ्यों को छुपाते हुए इस कारण प्रस्तुत किया कि फरबरी 2007 में हुई ओलावृष्टी के समय परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता को फसल की कोई क्षति नहीं हुई थी, किंतु वह क्षतिपूर्ति के लिए दबाव बना रहा था। जिसे आर० आई०, पटवारी द्वारा नहीं माना था। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद निरस्त कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और हमें बेवजह परेशान करने के लिए परिवादी/पुनरीक्षणकर्ता ने झूठा परिवाद किया है, जो सव्यय निरस्त किया जाये, क्योंकि आर०आई० पटवारी के लेख की कोई जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से नहीं कराई गयी है और एस०डी०ओ० द्वारा जो जांच की गई थी, उसमें भी पंजाबसिंह और ग्राम कोटवार के कथन लिये गये हैं। जिन पर पंजाबसिंह ने अंगूठा निशानी और ग्राम कोटवार ने हस्ताक्षर किये हैं और बंटाकन कार्यवाही की पुष्टि की है।

8— अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी जगराम द्वारा निजी परिवाद धारा 420, 467, 468, 471, तथा 120 बी भा०द०वि० के तहत अपराध का संज्ञान लिये जाने बावत पेश किया गया जो मूल पैत्रिक संपत्ति के अवैध तरीके से उसके भाई रमेश द्वारा मौजा पटवारी और राजस्व निरीक्षक से मिली भगत करके कूट रचित बंटाकन की कार्यवाही करा लिये जाने के आधार पर अपराध के संज्ञान के बावत पेश किया गया था, जिसे विद्वान जे०एम०एफ०सी० ने संज्ञान योग्य न पाते हुए निरस्त किया।

9— प्रकरण में प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक-1 की ओर से अपने अंतिम लिखित तर्कों के साथ जो दस्तावेज पेश किये। उनका पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई

खण्डन नहीं किया गया। जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, कि पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 व उनके भाई सरनाम के मध्य जमीन बंटाकन का विवाद समझौते के तहत समाप्त हो गया है। जो तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 19/2006-07/अ-3 आदेश दिनांक 8/07/2016 के अवलोकन से स्पष्ट है, जिससे पक्षकारों का मूल विवाद समाप्त हो गया है।

10— पूर्व में जब इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14/07/2014 को पुनरीक्षण याचिका में आदेश किया था, उस समय प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की सुनवाई नहीं हुई थी और उनके पक्ष समान नहीं था। वर्तमान स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के ऊपर वर्णित आदेशानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया है। जिसके तहत प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गए और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गए उससे स्थिति स्पष्ट हुई है। परिवाद जिन धाराओं के तहत संज्ञान में लिये जाने बावत् प्रस्तुत किया गया है। उसके संबंध में परिवादी की ओर से ऐसे प्रमाण पेश नहीं किये गए जो, इस बात को स्थापित कर सकें कि फर्द बंटाकन तैयार कराते समय कोटवार के हस्ताक्षर बलपूर्वक और पंजाबसिंह के हस्ताक्षर कूट रचना करके आर0आई0 पटवारी द्वारा तैयार किये गए तथा किसी की हस्तलेख विशेषज्ञ से कोई जांच भी नहीं कराई गई, जो बेईमानी पूर्ण आशय स्थापित करती हो। ऐसी भी परिवादी की ओर से साक्ष्य नहीं है कि आर0आई0 पटवारी के द्वारा कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करके फर्द बंटाकन तैयार की गई हो। फर्द बंटाकन जो बनाई गई थी वह कब्जे के आधार पर बनाई गई थी।

11— यह सही है कि अधीनस्थ जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय परिवाद की जांच धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत एस0डी0ओ0 राजस्व गोहद से कराई गई। जिसमें आक्षेपित आर0आई0, पटवारी को ही उस पर अपने पक्ष रखने का अवसर दिया, जिससे उन्होंने अपना ही पक्ष रखा, जबकि आक्षेपित व्यक्तियों को जांच नहीं दी जा सकती थी। इसलिए एस0डी0ओ0 के द्वारा जो जांच प्रतिवेदन दिया गया वह अवश्य दूषित है किंतु बंटाकन/बंटवारा में कूट रचना का जो आक्षेप किया गया है, वह किसके द्वारा किया गया इस बारे में स्पष्ट साक्ष्य अभाव है जिसको देखते हुए प्रस्तुत परिवाद पर से अपराध का संज्ञान लिये जाने बावत् ठोस आधार प्रकट नहीं होते हैं। इस दृष्टि से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है और आर्थिक लाभ के बिन्दु के प्रकट न होने से तथा बंटाकन कार्यवाही प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रमेश के आवेदन पर से संचालित होने को देखते हुए छल-कपट का मामला संज्ञान योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांकित 05/06/2012 को अवैध, अशुद्ध या अनियमित न पाये जाने से स्थिर रखते हुए प्रस्तुत की गई उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका बाद विचार निरस्त की जाती है।

12— आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जाये।

दिनांक-28/07/2015

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड